



जनजातिय विकास योजनाओं के प्रभावों का मूल्यांकन आदिवासी विकासखण्ड गोहपारु की बैगा जनजाति का प्रतीक भौगोलिक अध्ययन

डॉ. कल्पना खरे

व्याख्याता, शा.उ.मा. विद्यालय छतरपुर, मध्य प्रदेश, भारत

सारांश

मध्यप्रदेश के पूर्वी अंचल के शहडोल जिला के गोहपारु विकासखण्ड के वनाच्छादित क्षेत्र में बैगा जनजाति के 9560 व्यक्ति निवास कर रहे हैं; जिनमें 4485 पुरुष एवं 5075 महिलाएँ हैं। आर्थिक— सामाजिक दृष्टि से क्षेत्र में निवास कर रही अन्य जनजातियों की तुलना में यह बहुत पिछड़ी हुई जनजाति है। केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा इनके आर्थिक, सामाजिक उन्नयन हेतु विभिन्न योजनाओं का कृयान्वय किया जा रहा है। साक्षात्कार सूची आधारित किए गए शोधकार्य के आधार पर इस जनजाति में शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में शिक्षा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं के लाभ लेने की प्रवृत्ति तो दृष्टिगोचर होती है, किन्तु अन्य योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के अवसरों की द्युकाव की प्रवृत्ति कम मिलती है, जिसके संबंधित कारणों में इन योजनाओं की जानकारी की कमी, योजना का लाभ प्रदाय के स्वरूप में त्रुटियाँ एवं इनका संकोची स्वभाव हो सकते हैं, जिनके निराकारण द्वारा ही समग्र योजनाओं के लाभ प्राप्ति की ओर ही ये लोग उन्मुख हो सकते।

मूल शब्द: बैगा, वनाच्छादित, अति पिछड़े, अर्थव्यवस्था, योजना, लाभ

प्रस्तावना

मध्यप्रदेश का पूर्वी अंचल जिसके अन्तर्गत सीधी, शहडोल, अनूपपुर एवं उमरिया जिले रित्थित हैं, का समस्त भू-भाग ऐसा प्रदेश है जो अपनी धरातलीय विशेषताओं एवं घने वनों के कारण जनजातियों के संकेन्द्रण का प्रमुख क्षेत्र बन गया। इसी भूभाग में स्थित शहडोल जिला का गोहपारु विकासखण्ड सोन-वनास नदियों द्वारा विच्छेदित घने वनों से युक्त विषमधरातलीय क्षेत्र है, जहाँ 10 से अधिक जनजातीय समूह निवास करते हुए पाये जाते हैं, जिनमें से एक बैगा जनजाति है।

सभ्य दुनिया से दूर विपन्न हालात में निवास करने वाला यह मानव समूह सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़े है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जिस प्रकार सामान्य जनसंख्या से जनजाति सम्बन्धी आर्थिक—सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं, उसी प्रकार जनजातीय समूहों में से कुछ जनजातीय समूह आर्थिक—सामाजिक दृष्टि से अपने पड़ोसी जनजातियों की तुलना में बहुत पिछड़ी हुई है, जिनमें से एक बैगा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समस्त जनजातियों को संविधान में अधिसूचित करते हुये इनके सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रयास प्रारंभ किये गये। केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा तैयार की गई नीतियों के तहत इनके विकास की योजनाएँ तैयार की गई। योजनाएँ किस प्रकार रूपांकित की गई तथा उन योजनाओं का कितना लाभ अध्ययन क्षेत्र की बैगा जनजाति को प्राप्त हुआ, प्रस्तुत अध्ययन की मुख्य विषय वस्तु है। बैगा जनजाति छोटा नागपुर पठार के मूल निवासी है, जो प्रवास कर छत्तीसगढ़ होते हुए मध्यप्रदेश के पूर्वी अंचल में स्थित शहडोल जिला के गोहपारु विकासखण्ड में पहुँचे। इनके प्रवास में हेह्य वंशीय कल्याणी शासकों द्वारा खदेड़ा जाना एवं घने वनों तथा आगम्य क्षेत्रों की उपस्थिति प्रभावी भूमिका में रही। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गोहपारु विकासखण्ड में बैगा जनजाति की जनसंख्या 9560 व्यक्ति है, जो विकासखण्ड की कुल जनजातीय जनसंख्या का 14.20 प्रतिशत भाग है।¹ अध्ययन क्षेत्र में निवास करने वाली समग्र अनुसूचित जनजातीय समूहों में बैगा जनजाति देश, प्रदेश एवं विकासखण्ड की सबसे पिछड़ी हुई जनजातियों में से एक है।²

शोध विधि

भौगोलिक शोध कार्य में अध्ययन विषय से सम्बन्धित तथ्यों एवं सूचनाओं को एकत्रित कर सारियकीय विधियों से निष्कर्ष प्राप्त किये जाते हैं। प्रस्तुत अध्ययन विस्तृत क्षेत्रीय अध्ययन से उपलब्ध सूचनाओं एवं विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त द्वितीय आंकड़ों की सहायता से अनुभवात्मक विधि द्वारा पूर्ण किया गया है। अध्ययन की बोधगम्यता हेतु आवश्यकतानुसार आरेख एवं मानचित्रों की सहायता ली गई है।

शारीरिक संरचना

बैगा जनजाति सदियों से घने वनों के बीच गोड़ जनजाति के साथ-साथ निवास करती है, अतः कुछ लोगों को इन्हे गोड़ जनजाति का एक वर्ग होने की भ्राति होती है, किन्तु

इन दोनों जातियों के शारीरिक अभिलक्षणों के अध्ययन से पता चलता है कि बैगा जनजाति में मुण्डा (भूमिय) समुदाय के अभिलक्षण विद्यमान हैं, जबकि गोड़ जनजाति में द्राविण समुदाय के अभिलक्षण पाये जाते हैं। बैगा जनजाति के त्वचा का वर्ण हल्का गेहूँआ से गहरा काला, कपाल धातांक 70 से 75 तथा नाशा धातांक 78 होता है। गाल काले तथा सीधे होते हैं। इनका शारीरिक कद 135 से.मी. के मध्य पाया जाता है। होठ मोटे एवं नथने चपटे पाये जाते हैं। इनके शरीर में गाल कम होते हैं।¹⁴

निवास क्षेत्र

मध्यप्रदेश में बैगा जनजाति के लोग मण्डला, डिण्डोरी, अनूपपुर, शहडोल एवं सीधी जिलों में मुख्य रूप से निवास कर रहे हैं। इनका निवास रूप से निवास तथा नदी-नालों से घिरे हुये ऊँचे पहाड़ी क्षेत्र एवं घने वनों के मध्य स्थित है। अध्ययन क्षेत्र में बैगा जनजाति के लोग मुख्यतः दियापीपर, धनगाँव, असवारी, गुदहा, गोदरू, गुरा, करुआ, पतोरी, महवारा, लफड़ा, करी आदि ग्राम पंचायतों में मिलता है।⁵

जनसंख्या

अन्य जनजाति समूहों की भांति अध्ययन क्षेत्र में निवास कर रही बैगा जनजाति की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, किन्तु विभिन्न आर्थिक—सामाजिक समस्याओं के कारण इनकी जनसंख्या में वृद्धि की दर कम पाई जाती है, जैसाकि निम्नांकित सारणी क्रमांक 5.2 से स्पष्ट होता है—

सारणी क्रमांक 1: बैगा जनजाति जनसंख्या का विकास, 1991–2011

क्र.	वर्ष	बैगा जनसंख्या	वृद्धि व्यक्तियों में	वृद्धि प्रतिशत
1.	1991	7211	.	.
2.	2001	8305	1094	15% ¹⁷
3.	2011	9560	1255	15% ¹¹

स्त्रोत – जनपद कार्यालय गोहपारु से प्राप्त आंकड़ों पर आश्रृत

उपर्युक्त सारणी 1 से स्पष्ट होता है कि 1991 में इस विकासखण्ड में निवास करने वाली बैगा जनजाति की कुल जनसंख्या 7211 थी, जो 2001 में बढ़कर 8305 हो गई। इस प्रकार 1991 आधार वर्ष पर 2001 में 15.17 प्रतिशत की वृद्धि अंकित हुई मिलती है। 2001–2011 अवधि में 15.11 प्रतिशत की वृद्धि अंकित हुई मिलती है, 2001–11 अवधि में वृद्धि दर 1991–2001 की अवधि से अंशतः कम होने के मूल कारणों में इन में स्थायित्व की प्रवृत्ति का न होना है। आज भी ये लोग समीवर्ती विकासखण्डों – जयसिंहनगर, बुढार, सोहागपुर के घने वनों की ओर पलायन करते रहते हैं।

जनसंख्या वितरण

बैगा जनसंख्या का वितरण अध्ययन क्षेत्र में एक समान नहीं पाया जाता। कुछ ग्राम पंचायतों में इनकी संख्या अधिक तथा कुछ ग्राम पंचायतों में निरंक है। सामान्यतः अध्ययन क्षेत्र के पूर्वी घने वर्णों में स्थित ग्राम पंचायतें इनके प्रमुख निवास क्षेत्र हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग कि.मी. क्षेत्र में बैगा जनसंख्या का घनत्व 10.49 व्यक्ति है। लिंगानुपात की दृष्टि से इस विकासखण्ड में बैगा जनसंख्या का लिंगानुपात अन्य जनजातियों की तुलना सबसे उच्च है। अध्ययन क्षेत्र में कुल 9560 व्यक्ति है, जिनमें 4485 पुरुष एवं 5075 महिला हैं। इस प्रकार प्रति 1000 पुरुषों पर बैगा महिला 1131.15 का अनुपात मिलता है, जो कुल जनसंख्या एवं कुल जनजातियों के महिला अनुपात में अधिक है।¹⁶

बैगा जनजाति की आर्थिक जीवन

बैगा जीवन जंगल पर निर्भर है। बैगा परपरागत खेती करने में आज भी विश्वास करते हैं। प्रारंभ में बैगा केवल डाहिया एवं बेवर खेती करते थे। ऐसा वे नागा बैगा के वरदान स्वरूप मानते हैं। आजकल बेवर खेती को अपराध घोषित किया गया है। बेवर खेती को बदलाव खेती भी कहते हैं। जंगलों को काटकर उसमें आग लगाकर जिस भूमि पर अनाज बोया जाता है, उसे बेवर खेती कहते हैं। इस समय बैगा स्थायी खेती करने लगे हैं। कोदों, कुट्टी, मडिया, कंगनी, बाजरा, सामा, रतोनी, कुट्टी, ज्वार, मकवा, कांगा, सिलार, दालै, राहर, उड़द, दिरा, झुंझुर, बरबटी, झुरगा आदि बैगाओं की फसल है। विभिन्न प्रकार की साग-साजियाँ उगाने का शौक इन में खूब प्रचलित है। वरोपज को इकट्ठा कर बेचना बैगाओं का प्रमुख काम है। महलोन और तेंदुपता इकट्ठे करना भी बैगा स्त्रियों का काम है।

बैगा शिकार प्रिय जनजाति है। पशु-पक्षियों को शिकार के लिए विभिन्न प्रकार के फन्दों का उपयोग करते हैं। मछली पकड़ने के ही इनके पास कई फन्दे होते हैं।

जंगल की यात्रा में बैगा धनुष-बाण अवश्य रखते हैं। बैगा मांसाहारी होते हैं। यह का शिकार करके खाने में बैगाओं को बहुत मजा आता है। इसके अतिरिक्त ये लोग जंगलों से नाना प्रकार के खाद्य-कुकुरुतों का संचयन करके उसको बाजारों में बेचते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारत में यह पदार्थ सर्वर्ण हिन्दुओं या मुसलमानों द्वारा कुछ वर्षों पूर्व तक अखाद्य ही समझा जाता था किन्तु अब मटन, मशरूम तथा कुछ अन्य मशरूम भोजन की आधुनिकता की निशानी है। भारत में इसका प्रयोग आदिवासियों से ही प्रारंभ हुआ। मशरूम के बाद दूसरा खाद्य पदार्थ बैचांदी है, जो संपूर्ण पूर्वी मध्यप्रदेश के जनजातीय क्षेत्र में जनजातियों तथा गैर जनजातियों द्वारा सेवन किया जाता है। यह एक प्रकार के कंद से प्राप्त पदार्थ है। फिर इसे बहते पानी में या गड्ढे में तीन या चार दिन के लिए रख दिया जाता है। बाद में इसे घर लाकर उबाला जाता है, फिर इसका छिलका निकालक इसे साफ करते हैं, इसे फिर छोटे-छोटे गोल टुकड़ों में चिप्स की भाँति काटा और सुखाया जाता है। इसी को बैचांदी कहते हैं। बैचांदी को लोग शक्कर में पकाकर खाते हैं या वैसे भी इसे खाया जा सकता है। बैचांदी के अतिरिक्त तोखुर भी ऐसा ही एक कद से निकला हुआ पदार्थ है जिसके चूर्चा को खाया जाता है। गैर जनजातीय लोग इसे दूध में मिलाकर खाते हैं। इससे दूध गाढ़ा हो जाता है। उपर्युक्त कंदों के अतिरिक्त भी कुछ कंद पाये जाते हैं, जिन्हें भूजकर या बिना भूने खाया जाता है। यहाँ की जनजातियाँ, बेर, चिराँजी, इमली, इत्यादि अनेक फलों का भी संचयन करती हैं। जिनमें चिराँजी तो अब जनसाधारण की क्रयशक्ति के बाहर हो गई है। वह अब एक मंहगा मेघा है।


उपर्युक्त परम्परागत आर्थिक कार्बों के अतिरिक्त केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा बैगा जनजाति के विकास हेतु चलायी जाने वाली योजनाओं के कारण इनके अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति में बदलाव आने लगा है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण 50 बैगा व्यक्तियों से साक्षात्कार से प्राप्त परिणामों का विवरण निम्नानुसार (सारणी क्रमांक 2) है।

सारणी 2: बैगा जनजाति की अर्थव्यवस्था की प्रकृति

क्र.	साक्षात्कार शामिल बैगा संख्या	उत्तरदाता संख्या	कुल से प्रतिशत	स्थायी कृषि	संख्या	प्रतिशत
1.	50	50	100	स्थायी कृषि	7	14
				पशुपालन	2	4
				स्थायी विधि श्रमिक	9	18
				स्थायी वर्णों में श्रमिक	11	22
योग	50	50	100	अन्य सेवाएँ एवं विविध उद्यम	21	42
					50	100

स्रोत: क्षेत्रीय सर्वेक्षण पर आधारित 2014–15

बैगा जनजाति की अर्थव्यवस्था की प्रकृति



आदेश क्र. 1

जीवनयापन करना चाहते हैं। उक्त परिवर्तन शासकीय सुविधाओं एवं शिक्षा विकास की योजनाओं के कारण होना मानते हैं।

बैगा जनजाति के आर्थिक-सामाजिक विकास की योजनाएँ :

अध्ययन क्षेत्र गोहपारु विकासखण्ड में निवास कर रही जनजातियों में जनसंख्या आकार की दृष्टि से बैगा जनजाति द्वितीय क्रम पर है। यद्यपि गोड एवं बैगा एक ग्राम में साथ-साथ निवास करते हुये पाये जाते हैं तथापि गोड जनजाति की तुलना में ये विषमधरातलीय क्षेत्र एवं वन्य युक्त स्थान का चयन अधिवास के रूप में करते हैं, जो गोड वस्ती से दूर होता है। म.प्र. के अन्य विकासखण्डों की भाँति गोहपारु विकासखण्ड में सभी जनजातियों के विकास के लिये जितनी योजनाएँ संचालित हैं, वे सब बैगा जनजाति के लिये भी हैं। उन योजनाओं के अतिरिक्त चूंकि बैगा जनजाति भारत की 07 एवं म.प्र. की 03 अति पिछड़ी जनजातियों में समाहित है, अतः इसके विकास के लिये अलग से बैगा प्राधिकरण का गठन कर इनके सामाजिक-आर्थिक विकास की योजनाओं का रूपांकन किया गया है। इस प्राधिकरण का बजट आंटन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। इस प्रकार गोहपारु विकासखण्ड में निवास करने वाली बैगा जनजाति के लिये जनजातीय विकास विभाग एवं बैगा प्राधिकरण दोनों की योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है।

बैगा जनजाति के विकास हेतु संचालित योजनाओं एवं हितग्राहियों की प्रवृत्ति की जानकारी प्राप्त करने के लिये विभिन्न ग्रामों के 50 बैगा परिवारों का साक्षात्कार लिया गया। साक्षात्कार से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करते हुये योजनाओं के बारे में जानकारी एवं लाभ प्राप्त के स्वरूप की प्रवृत्ति निम्नानुसार पाइ गई –

उपर्युक्त सारणी क्र. 2 के अनुसार प्रवृत्ति से घुमन्त् बैगा जनजाति के लोग स्थाई कृषि, पशुपालन, मजदूरी एवं अन्य विविध उद्यमों एवं सेवाओं की ओर अग्रसर हुये हैं। अब उनमें स्थाई निवास की इच्छा पनपी है तथा अन्य (सामान्य) लोगों की तरह अपना

सारणी 3: बैगा जनजाति विकास योजनाओं का प्रारूप 2014–15 साक्षात्कार सूची में शामिल संख्या 50

क्र.	मद विवरण	आवेदक संख्या	साक्षात्कार संख्या से प्रतिशत	लाभर्णी संख्या	आवेदक संख्या से प्रतिशत
1.	शिक्षा विकास की योजनाएँ	50	100	100	100
2.	स्वास्थ्य सेवाएँ	50	100	100	100
3.	कृषि योजनाएँ	05	20	05	100
4.	ट्रैक्टर ट्राली	01	2	निरंक	निरंक
5.	बकरी पालन	06	12	5	10
6.	कृषि उत्पादक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
7.	मुर्गीपालन	12	24	9	18
8.	सुअर पालन	09	18	5	10
9.	लघु वनोपज क्रय-विक्रय	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
10.	डेयरी फार्मिंग	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
11.	नरसरी एवं वर्मीकल्चर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
12.	जीप-टैक्सी योजना	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
13.	आटो-रिक्षा योजना	1	2	निरंक	निरंक
14.	ट्रक-बस योजना	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
15.	बस योजना	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
16.	सायकल-रिक्षा	5	10	5	100
17.	ट्रेवल एजेंसी	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
18.	सेवा क्षेत्र से संबंधित	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
19.	फोटोकॉपीयर	1	2	1	100
20.	जनरल स्टोर	2	4	2	100
21.	एस.टी.डी./ पी.सी.ओ.	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
22.	टेन्ट हाउस	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
23.	इन्टरनेट योजना	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
24.	मेडिकल स्टोर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
25.	पान दुकान	1	2	1	100
26.	उद्योग संबंधी	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
27.	ईंटा भट्ठा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
28.	झाडू निर्माण	3	6	2	66
29.	प्रिंटिंग प्रेस	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
30.	बांस टोकरी निर्माण	4	8	4	100
31.	सामाजिक योजनाएँ	6	12	6	100
32.	राहत-मद की योजनाएँ	2	4	2	100

उपर्युक्त सारणी क्र. 3 से स्पष्ट होता है कि बैगा जनजाति के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएँ हैं, किन्तु योजनाओं से लाभ प्राप्त करने के लिये आवेदन 2014–15 अवधि में जो किये गये हैं, उससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा विकास एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित योजनाओं के अतिरिक्त बैगा जनजाति के लोगों को या तो जानकारी नहीं है, अथवा योजनाओं को लाभ प्राप्त करने की उत्सुकता नहीं है। जिन प्रमुख योजनाओं का लाभ बैगा जनजाति के द्वारा प्राप्त किया गया है, उनमें शिक्षा विकास से जुड़ी हुई समग्र योजनाएँ, स्वास्थ्य से सम्बन्धित योजनाएँ कृषि से सम्बन्धित योजनाएँ, पशुपालन विशेषतः सुअर पालन, मुर्गीपालन, बकरी पालन की योजनाएँ प्रमुख हैं। संभवतः इन योजनाओं की ओर इनकी अधिक रुक्खान अभी भी इनकी उन्मुक्त वन्य संस्कृति का आकर्षण है। बाजार ग्राम केन्द्र गोहपालु, खन्नाई, दियापीपर में निवास करने वाले बैगा जनजाति के लोग रिक्षा योजना, सायकल क्रय योजना, फोटोकॉपीयर, जनरल स्टोर, पान की दुकान, झाडू निर्माण, बांस टोकरी निर्माण जैसी आर्थिक योजनाओं का लाभ 2014–15 में प्राप्त किया। उक्त योजनाओं के अतिरिक्त सामाजिक योजनाओं, राहत एवं पुनर्वास की संचालित योजनाओं का लाभ भी बैगा जनजाति के लोग प्राप्त किये हैं।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः बैगा जनजाति के लोग अभी भी शासकीय योजनाओं का पर्याप्त लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। यद्यपि शासकीय प्रयासों, समीपी गोड़ जनजाति की देखा-सिखी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये प्रयासरत होने लगे हैं, किन्तु शिक्षा के अतिरिक्त पशुपालन एवं कृषि योजनाओं की ओर इनका ज्ञुकाव अधिक है। द्वितीयक एवं तृतीयक अर्थव्यवस्था आधारित योजनाओं के लाभ प्राप्त करने की ओर अभी तक

उन्मुख नहीं हो सके हैं, जो संभावित इस जनजाति की स्वभावजन्य विशेषता, योजना की समुचित जानकारी न होना एवं त्रुटिपूर्ण व्यवस्था है। जिसका निदान आवश्यक है।

आधार

परमपूज्य डॉ. सी.पी. तिवारी, पूर्व विभागाध्यक्ष भूगोल, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा का आभारी हूँ जिन्होंने शोध पत्र के लेखन हेतु प्रेरणा प्रदान करते रहे।

सन्दर्भ सूची

- जनपद कार्यालय गोहपालु, जिला शहडोल वर्ष 2011.
- शिव कुमार तिवारी, म.प्र. की जनजातियाँ, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, म.प्र. भोपाल 1987 पृ. 203.
- सी.पी. तिवारी – जनजातीय पर्यावरण, आशा पब्लिशिंग, आगरा, 2003, पृ. 193
- चतुर्भुज मानोरिया – मानव भूगोल – रस्तोगी प्रकाशन आगरा-1977, 68.
- क्षेत्रीय सर्वक्षण वर्ष 2014 पर आधारित जनपद कार्यालय गोहपालु से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित.